

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु



सं.क्र. : प्र.गा.स./2021/ 169/2021

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-

आदेश

प्रार्थी श्री...आम्रम अली खाँ.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...असरु खाँ.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम...खारिया.....पटवारी मण्डल...वीनासर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071-74.....के खाता संख्या...100.....में
खातेदार/के पिता खातेदार का नाम/जाति...असरु खाँ.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से...असरु खाँ.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का...वीनासर.....से करवाने पर पटवारी ने...असरु खाँ.....के
बजाय...असरु खाँ.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में...असरु खाँ.....
के बजाय...असरु खाँ.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम...खारिया.....
के खाता संख्या...100.....में खातेदार/के पिता खातेदार का नाम/जाति...असरु खाँ.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से...असरु खाँ.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



11/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

